सत्यमेव जयते

Government of India
National Commission for Scheduled Tribes

6th floor, 'B' Wing, Loknayak Bhawan
Khan Market, New Delhi-110 003.

File No. RK/1/2018/STGDH/ATRAPE/RU-I

Date: 10/05/2018

To

The Commissioner of Police,
Delhi Police,
Police Headquarters,
I.P. Estate,
New Delhi – 110002.
Tel: 23490201.
Fax No. 23722052.
Email: cpamulyapatnaik@delhipolice.gov.in

Sub: Representation dated nil received from Smt. Roopa Kachchhap (Scheduled Tribe), near Gurudwara, Opp. Maharani Bagh, D-128/6 Flat, No. 15 F/F, Kilokari, Jangpura, South Delhi-110014 regarding sexual assault on her and threated to kill.

Sir,

I am directed to enclose a copy of the minutes of Sitting held on 02/05/2018 under the Chairmanship of Ms. Anusuiya Uikey, Hon'ble Vice-Chairperson, National Commission for Scheduled Tribes on the above mentioned subject for necessary action.

It is, requested that action taken report in the matter may please be sent to the Commission at the earliest.

Encl: As above.

Yours faithfully,

(Rajeshwar Kumar)
Assistant Director
Tel: 011-24641640.

Copy for necessary action to:

Deputy Commissioner of Police,
South East District,
New Delhi.

Copy to:

Smt. Roopa Kachchhap,
near Gurudwara,
Opp. Maharani Bagh,
D-128/6 Flat, No. 15 F/F,
Kilokari, Jangpura,
South Delhi-110014.

Copy for information to:

1. PS to Hon'ble Vice-Chairperson, NCST
2. NIC, NCST (for hosting on Commission's website)

भारत सरकार

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग

(F.No.- RK/1/2018/STGDH/ATRAPE/RU-I)

किलकोरी, जंगपुरा, नई दिल्ली की निवासी अनुसूचित जनजाति की महिला के बलात्कार और जान से मारने की धमकी के मामले में प्राप्त अभ्यावेदन पर सुश्री अनुसुईया उइके, उपाध्यक्ष, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग की अध्यक्षता में दिनांक 02.05.2018 को आयोग में आयोजित सीटिंग का कार्यवृत.

बैठक की तिथि : 02.05.2018

बैठक में उपस्थित अधिकारी : परिशिष्ट 'क'

---

1. किलकोरी, जंगपुरा, नई दिल्ली की निवासी अनुसूचित जनजाति की महिला ने दिनांक 24.04.2018 को एक अभ्यावेदन देकर अपने पड़ोसी और परिचित द्वारा बलात्कार करने तथा जान से मारने की धमकी दिये जाने के मामले मे न्याय दिलाने का निवेदन किया था।

2. अभ्यावेदन में बताया गया है कि, अभ्यावेदिका 26 वर्षीय शादी शुदा गृहिणी हैं। उन्होंने लिखा है कि उनके पड़ोसी और परिचित आदित्य कुमार ने वर्ष 2016 मे मकान खरीदने के लिए गृह ऋण दिलाने मे मदद की थी। इसके बाद से उनसे पारिवारिक संबंध बन गया था और उनका घर आना जाना भी होता था। दिनांक 06.04.2018 को अभ्यावेदिका के पति ने फोन कर एक जरूरी कागज पर आरोपी के हस्ताक्षर लेने के लिए कहा था। अभ्यावेदिका ने फोन कर आरोपी से यह बात बताई तो आरोपी ने शाम मे आकार हस्ताक्षर करने की बात काही। शाम मे वह अभ्यावेदिका के घर आया और हस्ताक्षर करने के बदले छेदछाड़ करने लगा। अभ्यावेदिका ने इसका विरोध किया और इस बीच उसके बच्चे भी आ गए तब आरोपी बिना हस्ताक्षर किए चला गया। दिनांक

सुश्री अनुसुईया उइके/Miss Anusuiya Uikey
उपाध्यक्ष/Vice Chairperson
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes
भारत सरकार/Govt. of India
नई दिल्ली/New Delhi

07.04.2018 को रात्रि करीब 8 बजे आरोपी ने अभ्यावेदिका को फोन कर उक्त कागज पर हस्ताक्षर किए जाने की बात बोलकर अपने घर बुलाया कि वह आकार उक्त कागज ले जाये। अभ्यावेदिका जब उसके घर पहुंची तो आरोपी ने उन्हे डरा धमका कर जबरन शारीरिक संबंध बनाया और किसी को बताने पर पति तथा बच्चों को जान से मारने की धमकी दी। उस समय अभ्यावेदिका के पति दिल्ली से बाहर थे, इसलिए वे डर गई। उनके पति जब दिनांक 16.04.2018 को दिल्ली वापस आए तब उन्होने सारी आपबीती उनको बताई। इसके पश्चात वे दोनों सनलाइट कॉलोनी, पुलिस स्टेशन रिपोर्ट लिखाने गए। किन्तु रिपोर्ट लिखने की बजाय उन्हे पुलिस स्टेशन में बार बार अकारण बुलाया गया, परेशान किया गया और आरोपी का समर्थन किया जाता रहा। इस बीच दिनांक 24.04.2018 को अभ्यावेदिका और उनके पति ने आयोग मे एक अभ्यावेदन देकर न्याय दिलाने का निवेदन किया। आयोग द्वारा मामले में दखल देने के पश्चात ही एफ़आईआर दर्ज की गई। किन्तु उसमें भी एससी एसटी की धारा नही जोड़ी गई है।

3. आयोग ने अभ्यावेदन पर विचार करने के पश्चात पुलिस कमिश्नर, दिल्ली को दिनांक 24.04.2018 को एक नोटिस भेजकर आयोग मे चर्चा के लिए दिनांक 02.05.2018 को बुलाया।

4. दिनांक 02.05.2018 को आयोग में चर्चा के लिए डीसीपी, दक्षिण पूर्व जिला; एसीपी, लाजपत नगर; एसएचओ, सनलाइट कॉलोनी पुलिस स्टेशन तथा जांच अधिकारी एसआई, सनलाइट कॉलोनी पुलिस स्टेशन उपस्थित हुए।

5. आयोग ने जानना चाहा कि मामले में दिल्ली पुलिस ने लापरवाही क्यों बरती तथा अब तक इस पर क्या कार्यवाही की गई है? डीसीपी ने आयोग को अवगत कराया कि मामले मे कार्यवाही करते हुये अभ्यावेदक की शिकायत पर एफ़आईआर दर्ज की गई है। आरोपी की तलाश की जा रही है, ऐसा पता चला है कि आरोपी अपने मूल निवास ग्राम सतवरिया, थाना- शिकारपुर, जिला पश्चिमी चंपारण, बिहार भाग गया है। इसके लिए टीम गठित की गई है तथा उसे पकड़ने के प्रयास किए जा रहे हैं। उन्होने आयोग को यह भी अवगत कराया कि पीड़िता ने अपना अंदरूनी शारीरिक जांच कराने से मना कर दिया है जिसकी वजह से पुलिस को मामले की जांच में मदद नही मिल पा रही है।

6. आयोग ने सभी पक्षों को सुनने तथा तथ्यों / रिपोर्टों और बयानों को देखने के पश्चात पाया कि पुलिस द्वारा आरंभ मे लापरवाही बरती गई है। ऐसे मामलों मे तत्काल एफ़आईआर दर्ज कर पीड़िता को सहायता दी जानी चाहिए थी, किन्तु इसके विपरीत उन्हे परेशान किया गया।

सुश्री अनुसुईया उईके/Miss Anusuiya Uikey
उपाध्यक्ष/Vice Chairperson
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes
भारत सरकार/Govt. of India
नई दिल्ली/New Delhi

इस प्रकरण मे आयोग निम्नलिखित संस्तुतियाँ करता है:-

(i) पुलिस विभाग एफ़आईआर मे सुधार करते हुये तत्काल एससी एसटी की सुसंगत धाराओं को शामिल करे।

(ii) पीड़िता को तत्काल निर्धारित आर्थिक सहायता दिलाने के लिए संबन्धित अधिकारी कार्यवाही करें।

(iii) पीड़िता मेडिकल जांच को पूरा कराने के लिए पुलिस विभाग को सहयोग करें।

(iv) पीड़िता को मिल रही धमकी के परिप्रेक्ष्य मे दिल्ली पुलिस जांच करे तथा उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करे।

इस संबंध में पुलिस विभाग कार्रवाई कर अन्तरिम रिपोर्ट/ प्रगति रिपोर्ट दो सप्ताह के अंदर आयोग को भिजवायें।

सुश्री अनुसुईया उइके/Miss Anusuiya Uikey
उपाध्यक्ष/Vice Chairperson
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes
भारत सरकार/Govt. of India
नई दिल्ली/New Delhi

अनुलग्नक - क

भारत सरकार

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग

(F.No.- RK/1/2018/STGDH/ATRAPE/RU-I)

किलकोरी, जंगपुरा, नई दिल्ली की निवासी अनुसूचित जनजाति की महिला के बलात्कार और जान से मारने की धमकी के मामले में प्राप्त अभ्यावेदन पर सुश्री अनुसुईया उईके, उपाध्यक्ष, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग की अध्यक्षता में दिनांक 02.05.2018 को आयोग में आयोजित सीटिंग मे उपस्थित अधिकारियों/कर्मचारियों की सूची-

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग

1. सुश्री अनुसुईया ऊइके, माननीय उपाध्यक्ष
2. श्री पी. टी. जेम्सकुट्टी, उप सचिव
3. श्री गौरव कुमार, उपाध्यक्ष के निजी सचिव
4. श्री राजेश्वर कुमार, सहायक निदेशक

दिल्ली पुलिस के अधिकारी

1. श्री चिन्मय विश्वाल, डीसीपी, दक्षिण-पूर्वी दिल्ली
2. श्री बृजेन्द्र सिंह, एसीपी, लाजपत नगर
3. एसएचओ, सनलाइट पुलिस स्टेशन
4. एसआई मीतु यादव, सनलाइट पुलिस स्टेशन

अभ्यावेदक

1. पीड़िता और उनके पति